रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234635
CG-DL-E-29032022-234635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1423] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944
No. 1423] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

का.आ. 1466(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 151क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्धारण से छूट जाने वाली आय की ई-निर्धारण स्कीम, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "स्वचालित आबंटन" से उपर्युक्त प्रौद्योगिक औजार का प्रयोग करके मामलों के याद्यच्छिकीकृत आबंटन के लिए कोई एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का ईष्टम प्रयोग करने की दृष्टि से कृत्रिम आसूचना और यंत्र विद्या सम्मिलित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. स्कीम का क्षेत्र— इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, —

(क) अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना ;

(ख) अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी करना,

अधिनियम की धारा 148 में यथानिर्दिष्ट सूचना जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्मित जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार स्वचालित आबंटन के माध्यम से किया जाएगा और निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण या पुन:निर्धारण करने के लिए निर्देश के साथ अधिनियम की धारा 144ख में उपबंधित विस्तार तक पहचानविहीन रीति के माध्यम से किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 18/2022/फा. सं. 370142/16/2022-टीपीएल (भाग 1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

S.O. 1466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 151A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the e-Assessment of Income Escaping Assessment Scheme, 2022.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(b) "automated allocation" means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.—For the purpose of this Scheme,—

(a) assessment, reassessment or recomputation under section 147 of the Act,

(b) issuance of notice under section 148 of the Act,

shall be through automated allocation, in accordance with risk management strategy formulated by the Board as referred to in section 148 of the Act for issuance of notice, and in a faceless manner, to the extent provided in section 144B of the Act with reference to making assessment or reassessment of total income or loss of assessee.

[Notification No. 18/2022/F. No. 370142/16/2022-TPL(Part1]

SHEFALI SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.29 22:49:44 +05'30'